भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2601

बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस</u>

2601. श्री विजय कुमार दूबेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रीन एनर्जी ओपन (जीईओए) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) जीईओए को अपनाने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जीईओए ने वाणिज्य और उद्योग (सी एंड आई) क्षेत्र को सौर बास्केट में लाने में मदद की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार ने दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (ग्रीन एनर्जी ओपेन एक्सेस के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 जारी किए। ग्रीन एनर्जी ओपेन एक्सेस (जीईओए) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. वितरण लाइसेंसी के उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर 100 किलोवाट या उससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या उससे अधिक की संविदा मांग वाले किसी भी उपभोक्ता को ओपन एक्सेस की अनुमति है। कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए, ऐसी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।
2. उपभोक्ता, डिस्कॉमों से हरित विद्युत आपूर्ति की मांग के हकदार हैं और डिस्कॉम मांग की आपूर्ति करने के लिए बाध्य हैं।
3. ओपन एक्सेस के लिए स्वीकृति 15 दिन में दी जानी है अन्यथा इसे स्वीकृत माना जाएगा।
4. वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक आधार पर हरित विद्युत खरीदने की अनुमति है।
5. अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता के अतिरिक्त हरित विद्युत के उपभोग के लिए उपभोक्ताओं को हरित प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।
6. यदि जीईओए उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्कों का भुगतान किया जा रहा है तो ऐसे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।
7. यदि हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

(ख) अब तक निम्नलिखित 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जीईओए विनियम जारी किए गए हैं:

राज्यः पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड, नागालैंड और गोवा।

संघ राज्य क्षेत्रः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।

(ग) जीईओए ने वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) क्षेत्र को सौर बास्केट के दायरे में लाने में मदद की है तथा जीईओए अनुप्रयोगों के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री का रखरखाव करने वाली केंद्रीय नोडल एजेंसी, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया (जीसीआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 01.12.2024 की अवधि के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) क्षेत्र द्वारा सौर बास्केट में निर्धारित कुल ऊर्जा 529.67 एमयू थी।

*****